फा. सं. 609/97/2017-डीबीके
भारत सरकार
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
प्रतिअदायगी प्रभाग

नई दिल्ली, 12 दिसंबर ,2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त एवं आयुक्त
सभी जो सीबीईसी के अंतर्गत आते हैं |

महोदया/महोदय,

विषयः प्रतिकारी शुल्क की प्रतिअदायगी के रूप में वापसी।

आपका ध्यान परिपत्र सं. 106/95-सीमाशुल्क दिनांक 11.10.1995 और 23/2015- सीमाशुल्क दिनांक 29.09.2015 पर आकृष्ट किया जा रहा है जो कि क्रमशः प्रतिपाटन शुल्क और रक्षोपाय शुल्क की प्रतिअदायगी के रूप में वापसी के बारे में थे।

2. प्रतिकारी शुल्क जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाई जाती है, के बारे में बोर्ड यह स्पष्ट करता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 75 के अनुसार प्रतिअदायगी के रूप में इन शुल्कों पर भी छूट दी जा सकती है। चूंकि शुल्क प्रतिअदायगी की अखिल ओद्योगिक दरों को निर्धारित करते समय प्रतिकारी शुल्क पर विचार नहीं किया जाता है, अतः ऐसे प्रतिकारी शुल्क की वापसी का दावा सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 और/या सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017, जैसी भी स्थिति हो के नियम 6 और नियम 7 के अंतर्गत ब्रांड दर का आवेदन करके किया जा सकता है। इसका अनिवार्यतः यह अभिप्राय होगा कि प्रतिअदायगी की स्वीकृति तभी होगी जब ऐसा इनपुट जिस पर की प्रतिकारी शुल्क लगा हो का वास्तविक रूप से प्रयोग निर्यातित माल में किया गया हो जोकि ब्रांड दर के निर्धारण के लिए कराए जाने वाले सत्यापन में अभिपुष्ट हो गया हो।

3. जहाँ प्रतिकारी शुल्क वाले आयातित माल का यथा रूप में देश के बाहर निर्यात किया जाता है तो उस समय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले प्रतिअदायगी में प्रतिकारी शुल्क को भी भुगतान की जाने वाली सभी शुल्क में एक हिस्से के रूप में शामिल किया जायेगा बशर्ते कि और अन्य शर्तें पूरी हो रही हों।

4. व्यापारियों और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाएं और स्थायी आदेश जारी किए जाए।

भवदीय,

(दिपिन सिंगला)
विशेष कार्य अधिकारी (प्रतिअदायगी)